0522-2204365/ccfcampaup@gmail.com

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ

पत्रांक– 1553 /2–37–2 दिनांक, लखनऊ, मई: 18 ,2020,

सेवा में,

1. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, नियोजन, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, जनजातीय विकास, पंचायती राज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल के प्रमुख), उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण अधिनियम, 1980), उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध, उ0प्र0, लखनऊ।
8. श्री बृजभान, ग्राम–गनेशपुर, (पंचायत भवन के पास) पोस्ट–शिवपुर, जिला–वाराणसी, उ0प्र0 (आदिवासी मामलों का विशेषज्ञ/आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि)।

विषयः– **मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 15.05.2020 को आहूत उत्तर प्रदेश कैम्पा अभिचालन समिति (Steering Committee) की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।**

महोदय,

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनॉक 15.05.2020 को आहूत उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) की अभिचालन समिति (Steering Committee) की द्वितीय बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार दूबे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव–
उ0प्र0 कैम्पा अभिचालन समिति, लखनऊ।

<u>पत्रांक– 1553/तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

(सुनील कुमार दूबे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव–
उ0प्र0 कैम्पा अभिचालन समिति, लखनऊ।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (उ0प्र0 कैम्पा) की अभिचालन समिति (Steering Committee) की दिनांक 15.05.2020 को आहुत द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

....

बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है।

मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश कैम्पा द्वारा स्टीयरिंग कमेटी के उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित एजेंडा बिन्दु प्रस्तुत किये गये जिन पर विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

एजेण्डा बिन्दु–1:– उत्तर प्रदेश कैम्पा अभिचालन समिति की प्रथम बैठक दिनॉक 07.03.2019 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किया जाना।

उत्तर प्रदेश कैम्पा अभिचालन समिति की प्रथम बैठक दिनॉक 07.03.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि समिति द्वारा की गयी।

एजेण्डा बिन्दु–2 :– राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (National Compensatory Afforestation Fund) से राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (State Compensatory Afforestation Fund) में निधि प्राप्त होने के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया जाना।

राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (National Compensatory Afforestation Fund) से राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (State Compensatory Afforestation Fund) में निधि प्राप्त होने के सम्बन्ध में समिति अवगत हुयी।

एजेण्डा बिन्दु–3 :– उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2020–21 की वार्षिक प्रचालन योजना का अनुमोदन प्रदान किया जाना।

उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2020–21 की धनराशि रू0 27500.00 लाख की वार्षिक प्रचालन योजना के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सम्यक विचार–विमर्श करने के उपरान्त निम्न टिप्पणियों के साथ अनुमोदित किया गया :–

1. क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत वर्षाकाल 2021 वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित अग्रिम मृदा कार्य – 1255.23 है0 एवं 100275 पौधे का लक्ष्य प्रत्येक दशा में प्राप्त किया जाये। इस सम्बन्ध में क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलाग के अन्तर्गत पर्याप्त (कम से कम 1500.00 है0) वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित लक्ष्य प्रत्येक दशा में प्राप्त किये जाये।
2. क्षतिपूरक वनीकरण के बैकलाग को योजनाबद्ध तरीके से वनीकरण करते हुए आगामी 2 से 3 वर्षों में समाप्त किया जाये।
3. वन एवं वृक्षारोपणों की सुरक्षा मद में प्रस्तावित अग्रपंक्ति कार्मिकों हेतु वाहनों के क्रय को CAF Rules, 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमन्यता की पुष्टि कर ली जाये।
4. वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत अर्जित ब्याज के आउटले के अन्तर्गत प्रस्तावित रू0 2219.00 लाख के अधीन, परीक्षणोंपरान्त आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त की जाये।

5. वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत अभिचालन समिति, उ0प्र0 कैम्पा से अनुमोदित वर्ष 2020–21 की वार्षिक प्रचालन योजना के अधीन प्रस्तावित वचनबद्ध/समयबद्ध/अति आवश्यक कार्यों को, कार्यपालक समिति, राष्ट्रीय कैम्पा से अनुमोदन की प्रत्याशा में कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के परामर्श के उपरान्त कार्यवाही की जाये।

उक्त टिप्पणियों के साथ समिति द्वारा उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2020–21 की वार्षिक प्रचालन योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–4 :– **उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2019–20 की अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना के सापेक्ष प्रगति विवरण।**

उत्तर प्रदेश कैम्पा की वर्ष 2019–20 की वार्षिक प्रचालन योजना के सापेक्ष प्रगति विवरण से समिति अवगत हुयी। समिति द्वारा इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में निर्दिष्ट स्थलों पर मार्ग चौड़ीकरण या अन्य कारणों से लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति न किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में प्रस्तावित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों को सम्मिलित किया जाये।
2. एन0पी0वी0 मद के अन्तर्गत कतिपय मदों में लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति न किये जाने पर समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि कार्यों को प्रस्तावित किये जाने से पूर्व, CAF Rules, 2018 के प्राविधानों एवं स्थल की उपयुक्तता भली–भाँति परीक्षण किये जाने के उपरान्त ही वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाये।

एजेण्डा बिन्दु–5 :– **वर्ष 2019–20 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 कैम्पा अभिचालन समिति द्वारा अनुमोदित क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भौतिक लक्ष्यों एवं स्थल परिवर्तन तथा अन्य मदों में स्थल परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया जाना।**

वर्ष 2019–20 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 कैम्पा अभिचालन समिति द्वारा अनुमोदित क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भौतिक लक्ष्यों एवं स्थल परिवर्तन तथा अन्य मदों में स्थल परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्न तथ्य समिति के संज्ञान में लाये गये :–

1. बुलन्दशहर वन प्रभाग के अन्तर्गत 65.80 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य, वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट स्थल दिल्ली–कानपुर रोड के चौड़ीकरण प्रस्तावित होने के कारण नहीं किया जा सका।
2. औरया वन प्रभाग के अन्तर्गत 8200 ब्रिकगार्ड में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट स्थल में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रक्रियात्मक अधिक समय लगने के कारण नहीं किया जा सका।
3. मैनपुरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 85.62 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट स्थल में किये गये परिवर्तन के अनुसार अंगीकृत किये जाने वाले वृक्षारोपण माडल के अनुसार याचक विभाग से पर्याप्त धनराशि प्राप्त न किये जाने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।
4. वर्ष 2019 वर्षाकाल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के कम लक्ष्य प्राप्त किये जाने की स्थिति में वर्ष 2020 वर्षाकाल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अग्रिम मृदा कार्य हेतु अतिरिक्त लक्ष्यों (600.00 है0 के स्थान पर 1070.08 है0) की प्राप्ति की गयी है।
5. वर्ष 2019 वर्षाकाल गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत बलिया वन प्रभाग में Forestry Intervention for Ganga के अधीन FRI देहरादून द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 के अनुसार उपयुक्त वृक्षारोपण स्थल उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सके। अलीगढ़ वन प्रभाग के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य का लक्ष्य पूर्ण प्राप्ति न किये जाने के कारण वृक्षारोपण के लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सके।

6. वर्ष 2020 वर्षाकाल में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित विभागीय लक्ष्य– 10.00 करोड़ की पूर्ति अन्य योजनाओं (सामाजिक वानिकी इत्यादि) से होने के कारण अनुमोदित लक्ष्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका।
7. एन0पी0वी0 मद में विभिन्न कार्यमदों यथा गैर क्षतिपूरक अग्रिम मृदा कार्य/ वृक्षारोपण, ए0एन0आर0, भूमि एवं जल संरक्षण, वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण, फायर लाइन्स का अनुरक्षण, सर्वे सीमांकन एवं बाउन्ड्री पिलर की स्थापना, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इत्यादि मदों में अपरिहार्य कारणों/वास्तविक रूप से कार्यों के क्रियान्वयन के कारण भौतिक लक्ष्यों/स्थलों में परिवर्तन हुआ है।

वर्ष 2019–20 की वार्षिक प्रचालन योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 कैम्पा अभिचालन समिति द्वारा अनुमोदित क्षतिपूरक/गैर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भौतिक लक्ष्यों एवं स्थल परिवर्तन तथा अन्य मदों में स्थल परिवर्तन का अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–6 :– उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के वार्षिक लेखे का अनुमोदन किया जाना।

समिति द्वारा उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के वार्षिक लेखे का अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि आडिट रिपोर्ट में इंगित की गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागों से तथ्यपरक आख्या प्राप्त की जाये।

एजेण्डा बिन्दु–7 :– उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित वार्षिक लेखे का अनुमोदन प्रदान किया जाना।

समिति द्वारा उ0प्र0 कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित वार्षिक लेखे का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–8 :– उ0प्र0 कैम्पा स्टीयरिंग कमेटी की चतुर्थ बैठक दिनॉक 10.10.2012 में उत्तर प्रदेश कैम्पा कार्यकारिणी समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्धारित किये गये प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के परिदृश्य में विचार किया जाना।

समिति द्वारा उ0प्र0 कैम्पा, स्टीयरिंग कमेटी की चतुर्थ बैठक दिनॉक 10.10.2012 में तत्समय निर्धारित किये गये वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन को विखण्डित कर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 एवं तत्सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन को अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य एजेण्डा बिन्दु :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 की अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना के सापेक्ष अति आवश्यक कार्यो का भुगतान, पूर्व के वर्षों की वार्षिक प्रचालन योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष Unspent balance से बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाये।

समिति द्वारा निम्न निर्देश भी निर्गत किये गये :–

1. आधुनिक तकनीकी (Modern Technology) से वृक्षारोपणों के अनुश्रवण एवं इसकी सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले उपायों पर अन्वेषण करते हुए आगामी वार्षिक प्रचालन योजना में सम्मिलित किया जाये।
2. वार्षिक प्रचालन योजना की प्रगति का Mid term review किया जाये।
3. अभिचालन समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह के अन्दर आहूत की जाये।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लक्ष्यों के शतप्रतिशत प्राप्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता पूर्व से ही कर ली जाए, जिससे इस हेतु भूमि कम न पड़े। शतप्रतिशत उपलब्धि न होने की दशा में उत्तरादायित्व निर्धारित किया जाए।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुयी।

(सुनील कुमार दूबे)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सदस्य सचिव–अभिचालन समिति, उ0प्र0 कैम्पा

F:\Steering Committee\SC- 2nd Meeting\Project\Minutes.Docx

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता मे उ0प्र0 कैम्पा अभिचालन समिति की दिनांक 15.05.2020 को अपराह्न 1:00 बजे आहूत बैठक मे उपस्थित अधिकारियों की सूची:—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
1				
2	[illegible] शर्मा	[illegible]		[illegible]
3	डॉ० राजीव कुमार गर्ग	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष	9717466448	रा.कु.गर्ग 15/5/20
4	सुनील पाण्डे	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	9412235470	[illegible]
5	पवन कुमार शर्मा	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोजेक्ट [illegible]	9536044215	[illegible]
6	सुनील दुबे	CEO Corpn	8755444211	[illegible] 15/5/20
7	पंकज मिश्रा	CCF/Nodal	993577720	[illegible]
8	दीपक कुमार	CCF (JFM)	9412287068	[illegible]
9	[illegible]	संयुक्त सचिव, नियोजन	9454412779	[illegible]
10	[illegible]	वि.स. वित्त	~~[illegible]~~ 9415807120	[illegible]
11	वी० के० सिंह	डी०डी०जी० (फ०)	9717581113	[illegible]
12	मनोज सिंह	प्रमुख सचिव समाज कल्याण	9899022060	[illegible]
13	देवेश चतुर्वेदी	प्रमुख सचिव कृषि	9968818110	[illegible]
14	S.N. Dubey	S.M.S.-Cum-[illegible] Ag.	9415610498	[illegible]
15	I.D. Ram	Secretary Sc & Tech UP	9335902585	[illegible]
16	Ashwani Singh	Consultant Panchayati raj	8005334194	[illegible]
17				
18				
19				
20				

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

पत्रांक– 5009 / 5–1 दिनांक, वाराणसी, मई, 15 ,2020 ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तर प्रदेश कैम्पा, लखनऊ ।

विषयः– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैम्पा अभिचालन समिति (Steering Committee) की द्वितीय बैठक का आयोजन ।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1527/2–37–2 दिनांक 12.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.05.2020 को वन संरक्षक, वाराणसी के कार्यालय में मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कैम्पा की अभिचालन समिति (Steering Committee) की द्वितीय बैठक में आयोजित वीडियो एप के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेसिंग में उपस्थित सदस्य की उपस्थिति सूचना संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

CSO/ADSO

मु० व० सं० कैम्पा

दिनांक–15.05.2020 को वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के कार्यालय में मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कैम्पा की अभिचालन समिति (Steering Committee) की द्वितीय बैठक के आयोजन के सम्बन्ध में आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में उपस्थिति –

कम सं0	अधिकारी का नाम व पद	हस्ताक्षर मोबाइल नम्बर सहित
1	बृजभान अदिवासी मामलो का विशेषज्ञ	Brijbhan 15-5-2020 8127031642
2		
3		